

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11463 / 8549

दिनांक :- 2-1-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री अनिल [लिंक न. 11463] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सोजत, पाली - [14412] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 11/06/2018 से 25/06/2018 तक 15 दिवस

कुल 15 दिवस

उक्त कुल 15 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अनिल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11463 / 2549.

दिनांक :- 2-1-19.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सोजत, पाली
2. कोषाधिकारी पाली
3. श्री /श्रीमती / सुश्री अनिल [11463] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सोजत, पाली
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)